न्यायालय षष्ठत अपर जिला जज, बस्ती।

प्रकीर्ण सिविल वाद सं0–49/2018

मस्तराम चौधरी बनाम बाबूराम आदि।

दिनांक 13.11.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 19ग2 अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक/अपीलान्ट की तरफ से हस्तगत प्रार्थना पत्र 19ग2 अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या–3 श्रीमती सुभांगी देवी की मृत्यु दौरान वादकाल दिनांक 22.02.2018 को हो गयी है। अपीलार्थी का निवास विपक्षी के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण उसे मृत्यु की जानकारी दिनांक 22.08.2018 को हुई, इसके पूर्व सुभांगी देवी की मृत्यु की जानकारी उसे नहीं थी। जानकारी की तिथि से प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है। यदि किसी कारण से प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र अंदर मियाद न माना जाए तो उसे धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ दिए जाने की प्रार्थना किया है। विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र 19ग2 एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि आवेदक ने समय–सीमा के अन्दर प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र दाखिल न किये जाने का यह आधार बताया है कि उसका घर विपक्षी के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था जिस कारण से समय से विपक्षी संख्या–3 की मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी। विलम्ब के क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा **एम0 बालकृष्णनन प्रति एन0 कृष्णमूर्ति ए0आई0आर0 1998 एस0सी0सी0 पृष्ठ सं0–3223** व **स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली) प्रति अहमद जहॉ 2009 (64) एस0सी0सी0 571** तथा **न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी प्रति शान्ति मिश्रा 1975 एस0सी0सी0 840** में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पर्याप्त कारण को उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालय में निहित विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए यह पूर्ण शर्त है कि पर्याप्त कारण को साबित किया जाय किन्तु विशेषाधिकार का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे

विशेषाधिकार कठोर विधि के रूप में परिवर्तित हो जाये। यह भी अवधारित किया गया है कि विलम्ब की अवधि नहीं देखी जायेगी अपितु विलम्ब का कारण देखा जाय। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश में मैं इस मत का हूॅ कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब हुए विलम्ब का जो कारण बताया है, वह पर्याप्त है। अस्तु प्रार्थना पत्र 19ग2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र 19ग2 अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम वास्ते विलम्ब को क्षमा किये जाने 300/—रूपऐ हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली बाद हर्जा अदायगी वास्ते सुनवाई प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2018 को पेश हो।

(मनमीत सिंह सूरी)
षष्ठम अपर जिला जज,
बस्ती।

दिनांक—13.11.2018